प्रेस विज्ञप्ति

05.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) से धन की हेराफेरी से संबंधित जांच में तीन आरोपियों सुश्री आर लीलावती, बी के नागराजप्पा और पी डी सुब्बाप्पा के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 03.06.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा शुरू की गई जांच से पता चला कि केबीडीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक बी के नागराजप्पा और केबीडीसी की तत्कालीन प्रबंध निदेशक सुश्री आर लीलावती और अन्य ने बिचौलियों और उनके सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके केबीडीसी से धन का गबन किया है और उसे विभिन्न फर्जी संस्थाओं जैसे आदित्य एंटरप्राइजेज, सोमनाथेश्वर एंटरप्राइजेज, न्यू ड्रीम्स एंटरप्राइजेज, हरनतिहा क्रिएशंस, अन्निका एंटरप्राइजेज के बैंक खातों में भेज दिया गया, जिनका नियंत्रण/संचालन बी के नागराजप्पा और अन्य द्वारा किया जाता है।

पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 04.04.2025 को बेंगलुरु के विभिन्न स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया, जिसमें वी वी टॉवर, बेंगलुरु में स्थित कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) का कार्यालय और आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे।

इसके बाद, बी के नागराजप्पा और आर लीलावती को क्रमशः 05.05.2025 और 12.05.2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें क्रमशः 14 दिन और 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। वर्तमान में दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

इस प्रकार अर्जित अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग संपत्तियों की खरीद, बिचौलियों को भुगतान करने तथा आगे व्यक्तियों और विभिन्न अन्य संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने में किया गया।

इससे पहले, इस मामले में ईडी ने बी के नागराजप्पा, सुश्री आर लीलावती और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल अन्य आरोपियों की 26.27 करोड़ रुपये (लगभग) की विभिन्न अचल संपत्तियों (जिनका बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये है) को अनंतिम रूप से जब्त किया था। आगे की जांच जारी है।